

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ०प्र० लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-7**

**लखनऊ : दिनांक ०४ दिसंबर, 2025**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-43/2023/2453/003-9-7002-002-2-2022, दिनांक 07.11.2023 एवं शासनादेश संख्या-41/2023/2295/004-9-7002 -002-1-2023, दिनांक 02.11.2023 द्वारा नगर पालिका परिषद अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर एवं नगर पंचायत, तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को अन्य निकायों के साथ-साथ गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु क्रमशः ₹165.89 लाख एवं ₹165.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि क्रमशः ₹ 82.945 लाख एवं ₹82.00 लाख अवमुक्त की गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 11-11-2025 एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तमकुहीराज जनपद कुशीनगर के पत्र दिनांक 04-11-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्रगत कार्य की निविदा अनुबंध लागत क्रमशः धनराशि ₹163.55 लाख एवं ₹165.84 लाख है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से नगर पालिका परिषद अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर एवं नगर पंचायत, तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07.11.2023 एवं दिनांक 02.11.2023 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन द्वितीय/अंतिम किश्त की

धनराशि कुल ₹ 164.445 लाख (रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख चौवालीस हजार पाँच सौ मात्र)  
चालू कार्यो हेतु अवमुक्त किये जाने की मा. राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत निविदा की धनराशि	प्रथम/द्वितीय किशत की धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किशत की धनराशि
1	नगर पालिका परिषद अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर	43/2023/2453/003-9-7002-002-2-2022,दिनांक 07.11.2023	165.89	163.55	82.945	80.605
2	नगर पंचायत तमकुहीराज जनपद कुशीनगर	41/2023/2295/004-9-7002 -002-1-2023, दिनांक 02.11.2023	165.89	165.84	82.00	83.84
<b>कुल योग</b>			<b>331.78</b>	<b>329.39</b>	<b>164.945</b>	<b>164.445</b>

(रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख चौवालीस हजार पाँच सौ मात्र)

### नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

- (1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 02 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।
- (2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त कार्यो का third party inspection ( गुणवत्ता निरीक्षण) पी0 डब्ल्यू0 डी0/ आर0 ई0 एस0 के कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- (4) संबंधित नागर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-43/2023/2453/003-9-7002-

002-2-2022,दिनांक 07.11.2023 एवं शासनादेश संख्या-41/2023/2295/004-9-7002 -002-1-2023, दिनांक 02.11.2023 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,64,44,500 ( रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख चौवालीस हजार पाँच सौ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by  
SANJAY KUMAR TIWARI  
Date: 03-12-2025  
10:27:37

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

**संख्या- 20 /2025/ 5493(1) /008-9-7002-002-1-2023, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. संबंधित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

**संजय कुमार तिवारी**

अनु सचिव।